

राजस्थान सरकार

प्रपत्र-8

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... दिल्ली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प ..... वशीर

आदेश

प्राची के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी ..... सालीपाल 'A'

व भू.अ.नि ..... सालीपाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... दिल्ली

नाथब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... 8MKS तहसील ..... दिल्ली व

जिला ..... दुसुमाना की जमाबन्दी सम्बन्ध ..... में खाता संख्या 113

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि<br>अशुद्ध प्रविष्टि | आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व<br>रिकार्ड में दर्ज की जानी है ) |
|---------|-------|-------------|---------------------------------------|---|
| 1       | 8MKS  | 113         | "नथवीर पि. वृजलाल<br>हि-1/2"          | "रघुवीर पुत्र वृजलाल"   |

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक

शिविर स्थल ..... वशीर

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :-

पानक :-

विलिपि :-

1. तहसीलदार ..... दिल्ली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्राची श्री ..... रघुवीर पुत्र वृजलाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर